

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर  
क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-उदयपुर/2019/ दिनांक :

## आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में सुश्री ग्रीष्मा गुप्ता, कनिष्ठ सहायक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 20.06.2017 है तथा दिनांक 19.06.2019 को दो वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण करली है तथा कार्मिक द्वारा दिनांक 05.02.2016 को आरएससीआईटी एव दिनांक 21.02.2019 को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करली है, को परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण करने के पश्चात दिनांक 20.06.2019 से रूपये 20800(लेवल-5) पर वेतन नियतन करते हुए एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक 29/07/19

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-उदयपुर/2019/1606

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा।
2. सुश्री ग्रीष्मा गुप्ता, कनिष्ठ सहायक को सूचनार्थ।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर